वेदांता लिमिटेड

संबंधित पक्ष लेन-देन नीति

दस्तावेज का नाम	संबंधित पक्ष लेन-देन नीति
कंपनी	वेदांता लिमिटेड
तैयार किया गया	कॉर्पोरेट सचिवालय द्वारा
संस्करण एवं अंतिम अद्यतन किया गया	मई, 2015 07 मई, 2019 31 मार्च, 2021 25 मार्च, 2022 28 मार्च, 2023 **21 मार्च, 2024**

विषय-सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	3
2	उद्देश्य	3
3	परिभाषाएं	3-5
4	भौतिकता सीमा	5
5	आगामी संशोधनों के लिए भौतिकता सीमा	5
6	संबंधित पक्षों की पहचान	5-6
7	संबंधित पक्ष लेन-देन की पहचान	6
8	संबंधित पक्ष लेन-देन के अनुमोदन और समीक्षा की प्रक्रिया	6-11
9	संबंधित पक्ष लेन-देन को मंजूरी देने के लिए लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल के लिए कारक/दिशा-निर्देश	11
10	प्रतिवेदन एवं प्रकटन	12
11	सीमा एवं संशोधन	12

प्रस्तावना

वेदांता लिमिटेड ("कंपनी" या "वीईडीएल") के निदेशक मंडल ("बोर्ड") ने संबंधित पक्ष लेन-देन ("नीति") के संबंध में निम्नलिखित नीति और प्रक्रिया को अपनाया है। यह नीति, संबंधित पक्ष लेन-देन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं की परिकल्पना करती है, जिसका कंपनी द्वारा लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पालन किया जाना आवश्यक है।

यह नीति कंपनी पर लागू होगी। यह नीति कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों और उनके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन को कंपनी पर लागू कानूनों और विनियमों के आधार पर विनियमित करने के लिए है।

यह नीति 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी। कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की संस्तुति पर समय-समय पर नीति की समीक्षा करेंगे और कंपनी अधिनियम 2013/सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत नियामक संशोधनों के साथ संरेखित करने के लिए समय-समय पर नीति में संशोधन कर सकते हैं।

उद्देश्य

यह नीति भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 23 [इसके किसी भी संशोधन/संशोधन/पुनर्अधिनियम सहित] ("सूचीबद्धता विनियम") की आवश्यकताओं के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 के अनुसार तैयार की गई है और इसका उद्देश्य कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों और इसके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन की उचित स्वीकृति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है। अपने वार्षिक प्रतिवेदन में, कंपनी को कंपनी और संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन के साथ-साथ संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन से संबंधित नीतियों का खुलासा करना आवश्यक है।

इस नीति में उपयोग किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, लेकिन यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका अर्थ अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग विनियमों में दिए गए अर्थ होंगे।

परिभाषाएं

संबंधित पक्ष का वही अर्थ होगा, जैसा अधिनियम की धारा 2(76) या लागू लेखांकन मानकों के तहत परिभाषित किया गया है।

निर्दिष्ट है:

(क) सूचीबद्ध इकाई के प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का हिस्सा बनने वाला कोई व्यक्ति या इकाई; या

(ख) कोई व्यक्ति या कोई इकाई, जो सूचीबद्ध इकाई में प्रत्यक्ष रूप से या अधिनियम की धारा 89 के तहत दिए गए लाभकारी हित के आधार पर, किसी भी समय, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर रखती है; संबंधित पक्ष माना जाएगा।

संबंधित पक्ष के संबंध में रिश्तेदार का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा *2(77)* के तहत परिभाषित किया गया है।

संबंधित पक्ष लेनदेन का वही अर्थ होगा, जो लिस्टिंग विनियमों के विनियमन *2(1)(*जेड सी*)* के तहत परिभाषित किया गया है और जैसा कि अधिनियम की धारा *188(1)* में परिकल्पित है।

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन *2(1)(*जेड सी*)* के तहत संबंधित पक्ष लेनदेन का अर्थ है, एक ऐसा लेनदेन जिसमें संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का अंतरण शामिल है*:*

i. एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी का संबंधित पक्ष*;*

ii. एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी और दूसरी ओर कोई अन्य व्यक्ति या इकाई*,* जिसका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को लाभ पहुंचाना है।

इस बात की परवाह किए बिना कि क्या कोई मूल्य लिया गया है और संबंधित पक्ष के साथ *"*लेन-देन" को अनुबंध में एकल लेन-देन या लेन-देन के समूह को शामिल करने के रूप में समझा जाएगा।

छूट

बशर्ते कि लिस्टिंग विनियमों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं होगा:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, अधिमान्य आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गम।

(ख) सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनी गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों सहित निम्नलिखित कॉर्पोरेट कार्रवाइयां, जो सभी शेयरधारकों के लिए उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू/प्रस्तावित हैं:

- लाभांश का भुगतान;
- प्रतिभूतियों का उपविभाजन या समेकन;
- अधिकार निर्गम या बोनस निर्गम के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गम; तथा
- प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

(ग) बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा सभी शेयरधारकों/जनता के लिए समान रूप से लागू/प्रस्तावित शर्तों पर सावधि जमाओं को स्वीकार करना, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को हर छह महीने में संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण के साथ-साथ इसका खुलासा करना होगा:

इसके अलावा यह परिभाषा म्यूचुअल फंड द्वारा जारी की गई इकाइयों के लिए लागू नहीं होगी, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(ओं) में सूचीबद्ध हैं।

(घ) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक ("केएमपी") द्वारा व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए उचित व्यवसाय और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति से जुड़े किसी भी लेन-देन को इस नीति के तहत अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

कुछ प्रकार के लेन-देन या व्यवस्थाएं, जो विशेष रूप से कानूनों के अलग-अलग प्रावधानों के तहत निपटाए जाते हैं और अलग-अलग अनुमोदन / प्रक्रियाओं के तहत निष्पादित होते हैं, उन्हें लागू कानून और प्रासंगिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे लेन-देन के उदाहरण इस प्रकार हैं:

- कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में निदेशकों/केएमपी की नियुक्ति।

- कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा ईएसओपी सहित निदेशकों या केएमपी के लाभ के लिए शेयर आधारित प्रोत्साहन योजनाएं; या
- सीएसआर योगदान।

आर्म्स लेंथ लेन-देन का अर्थ है, दो संबंधित पक्षों के बीच ऐसा लेन-देन, जो इस प्रकार संचालित किया जाता है जैसे कि वे असंबंधित हों ताकि हितों का कोई टकराव न हो।

व्यवसाय का सामान्य तरीका

The term transaction in the ordinary course of business has not been defined under the Act or the Listing Regulations. However, the International Standard on Auditing (ISA) 550 has listed certain examples of transactions outside the entity's normal course of business. Such examples have been listed out below:अधिनियम या लिस्टिंग विनियमों के तहत कारोबार के सामान्य क्रम में लेन-देन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएसए) 550 ने इकाई के कारोबार के सामान्य क्रम से बाहर के लेन-देन के कुछ उदाहरण सूचीबद्ध किए हैं। ऐसे उदाहरण निम्नानुसार हैं:

- जटिल इक्विटी लेनदेन, जैसे कॉर्पोरेट पुनर्गठन या अधिग्रहण।
- कमज़ोर कॉर्पोरेट कानूनों वाले अधिकार क्षेत्र में ऑफशोर संस्थाओं के साथ लेनदेन।
- यदि कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता है तो संस्था द्वारा किसी अन्य पक्ष को परिसर को पट्टे पर देना या प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना।
- असामान्य रूप से बड़ी छूट या रिटर्न के साथ बिक्री लेन-देन।
- चक्रीय व्यवस्था के साथ लेन-देन, उदाहरण के लिए, पुनर्खरीद की प्रतिबद्धता के साथ बिक्री।
- अनुबंधों के तहत लेन-देन, जिनकी शर्तें समाप्ति से पहले बदल दी जाती हैं।

महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन का वही अर्थ होगा, जैसा लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23(1) के प्रावधान के तहत परिभाषित किया गया है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **("**डब्लूओएस**")** में वह कंपनी शामिल होगी, जिसमें होल्डिंग कंपनी उस कंपनी की कुल मतदान शक्ति का 100% या तो सीधे स्वयं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से प्रयोग या नियंत्रित करती है; या उस कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है।

भौतिकता सीमा

लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 23 के अनुसार कंपनी को ऐसे लेन-देन के लिए भौतिकता सीमा प्रदान करनी होगी, जिसके आगे शेयरधारकों की स्वीकृति साधारण प्रस्ताव के माध्यम से आवश्यक होगी और कंपनी का कोई भी संबंधित पक्ष ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा, चाहे इकाई उस विशेष लेन-देन की संबंधित पार्टी हो या नहीं।

विनियम 23(1) के प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित पक्ष के साथ किए गए लेन-देन को भौतिक माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले लेन-देन या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ मिलकर किए जाने वाले लेन-देन, सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत या एक हजार करोड़ रुपये से अधिक हो, जो भी कम हो।

उपरोक्त के बावजूद, लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23(1क) के अनुसार, ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में

सूचीबद्ध इकाई द्वारा संबंधित पक्ष को किए गए भुगतान से संबंधित लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले लेनदेन या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ मिलकर, सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियमन 23(4) के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति भी संबंधित पक्ष के उन लेन-देन और बाद के भौतिक संशोधनों (नीचे परिभाषित) के लिए आवश्यक होगी, जिनमें कंपनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष है लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है।

आगामी संशोधनों के लिए भौतिकता सीमा

किसी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन-देन के संबंध में, प्रत्येक अनुवर्ती महत्वपूर्ण संशोधन का अर्थ होगा, समेकित आय विवरण में शुद्ध वित्तीय प्रभाव डालने वाला कोई भी परिवर्तन, जो पहले से अनुमोदित लेनदेन मूल्य के 20% से अधिक हो या 1,000 करोड़ रुपये, जो भी अधिक हो।

संबंधित पक्षों की पहचान

अनुपालन अधिकारी अधिनियम की धारा 2(76) में परिभाषित संबंधित पक्षों की एक सूची तैयार रखेगा, जो कंपनी (परिभाषा विवरण विनिर्देश) नियम, 2014 के साथ पठित होगी और लागू लेखांकन मानकों के तहत:

- प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति के समय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में और जब भी किए गए प्रकटीकरण में कोई परिवर्तन होता है, तो फॉर्म एमबीपी-1 में उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं के बारे में खुलासा करेगा, जिनमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखता है।
- प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति के समय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में और कभी भी किए गए प्रकटीकरण में कोई परिवर्तन होता है, तो निम्नलिखित के बारे में घोषणा करेगा:
  - उसके रिश्तेदार
  - फर्म जिसमें निदेशक/प्रबंधक या उसका रिश्तेदार भागीदार हो
  - निजी कंपनियां जिसमें निदेशक या प्रबंधक या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक हो
  - सार्वजनिक कंपनियां जिसमें निदेशक या प्रबंधक निदेशक हो और रिश्तेदारों के साथ मिलकर 2% से अधिक पेड-अप शेयर पूंजी रखता हो।

अनुपालन अधिकारीः

- निदेशकों और केएमपी की घोषणा के आधार पर, संबंधित पक्षों से संबंधित जानकारी, उनके व्यक्तिगत/कंपनी विवरण के साथ, पहचान करें और एक अद्यतन डेटाबेस के रूप में रिकॉर्ड पर रखें।
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत में और किसी भी आगामी बदलाव पर, वेदांता समूह के भीतर संबंधित पक्षों अर्थात् सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों आदि के बारे में डेटाबेस में जानकारी चिह्नित करें और बनाए रखें।
- कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं या किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के बारे में डेटाबेस चिह्नित करें और अनुरक्षित करें, जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी समय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के तहत सीधे या लाभकारी हित के आधार पर कंपनी में दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर रखते हैं।

➢ जब भी आवश्यक हो संबंधित पक्षों के डेटाबेस को अपडेट करें और कम से कम एक तिमाही में एक बार समीक्षा करें।

संबंधित पक्ष लेनदेन की पहचान

➢ प्रत्येक निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन, कंपनी या लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति को उसके या उसके रिश्तेदार से संबंधित किसी भी संभावित संबंधित पक्ष लेन-देन की सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

➢ अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन सभी भौतिक, वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित वार्षिक घोषणा करें, जहां उनका व्यक्तिगत हित है और जिनसे वेदांता के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।

➢ अनुपालन अधिकारी संबंधित पक्ष लेनदेन की सूची निम्नानुसार संकलित करेगा:
- कंपनी के वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार आरपीटी जारी रखना;
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले प्रत्येक संबंधित पक्ष के साथ किए जाने वाले संभावित लेन-देन और ऐसे लेन-देन का अनुमानित मूल्य ताकि इस नीति के अनुसार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

संबंधित पक्ष लेन-देन के अनुमोदन और समीक्षा की प्रक्रिया

लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति

क. संबंधित पक्ष के लेन-देन के लिए कंपनी के लेन-देन को कवर करने वाले आरपीटी अनुमोदन मैट्रिक्स के अनुसार कंपनी की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी। लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति संबंधित पक्ष के लेन-देन को मंजूरी देने के लिए विचार-विमर्श करते समय सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी।

ख. कंपनी के संबंधित पक्ष के लेन-देन में संशोधन के संबंध में, सभी संशोधनों के लिए लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी।

ग. कंपनी की अंतिम होल्डिंग कंपनियों के साथ संबंधित पक्ष के लेन-देन (किसी भी बाद के संशोधन सहित), जिसमें उनकी सहायक कंपनियां शामिल हैं, जिनमें कंपनी की सहायक कंपनी एक पक्ष है, लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है, के लिए कंपनी की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी।

घ. उपरोक्त के बावजूद, वेदांता इनकॉर्पोरेटेड, बहामास (पूर्ववर्ती वोल्कन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) (वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को छोड़कर) की सहायक कंपनियों के साथ संबंधित पक्ष लेन-देन (किसी भी आगामी संशोधन सहित), जिसमें कंपनी की सहायक कंपनी एक पक्ष है, लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है, के लिए कंपनी की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी, यदि ऐसे लेन-देन/बाद के संशोधन का मूल्य, चाहे व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन/संशोधनों के साथ लिया गया हो, सहायक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी की सहायक कंपनी के वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर का 10% या 180 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, से अधिक है।

ङ. ऊपर बिंदु ग में शामिल लेन-देन के अलावा, एक संबंधित पक्ष लेन-देन (किसी भी आगामी संशोधन सहित), जिसमें एक तरफ कंपनी की सहायक कंपनी एक पक्ष है (और कंपनी एक पक्ष नहीं है) और दूसरी तरफ कंपनी की सहायक कंपनी के निदेशक/केएमपी/कंपनी/कंपनी की अंतिम होल्डिंग कंपनियां, जिसमें उनकी सहायक कंपनियां शामिल हैं, को कंपनी की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी, यदि ऐसे लेन-देन/बाद के संशोधन का मूल्य, चाहे व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन/संशोधनों के साथ लिया गया हो, सहायक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी की सहायक कंपनी के वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर का 10% या 16 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, से अधिक है।

च. कंपनी की दो सहायक कंपनियों (जहां एक गैर-पूर्ण स्वामित्व वाली है या दोनों गैर-पूर्ण स्वामित्व वाली हैं) के बीच एक संबंधित पार्टी लेनदेन (किसी भी बाद के संशोधन सहित) को कंपनी की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी, यदि ऐसे लेन-देन/बाद के संशोधन का मूल्य, चाहे व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन/संशोधनों के साथ लिया गया हो, कम टर्नओवर वाली कंपनी की सहायक कंपनी के वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर के 10% से अधिक है।

छ. एक संबंधित पार्टी लेनदेन (किसी भी बाद के संशोधन सहित), जिसमें एक तरफ कंपनी की असूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष है (लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है) और दूसरी तरफ कोई अन्य संबंधित पार्टी जो उपरोक्त बिंदुओं "ग से ङ" में शामिल नहीं है, को कंपनी की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी, यदि ऐसे लेनदेन/आगामी संशोधन का मूल्य, चाहे व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन/संशोधनों के साथ लिया गया हो, सहायक कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी की सहायक कंपनी के वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर के 10% से अधिक है 180 करोड़, जो भी कम हो।

ज. कंपनी द्वारा एक ओर किसी अन्य असंबंधित व्यक्ति या इकाई के साथ निष्पादित किया गया लेनदेन, जिसका उद्देश्य और प्रभाव कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को लाभ पहुंचाना है, के लिए कंपनी की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी।

झ. कंपनी की सहायक कंपनी द्वारा एक ओर किसी अन्य असंबंधित व्यक्ति या इकाई के साथ निष्पादित किया गया लेनदेन (जिसमें कोई आगामी संशोधन भी शामिल है), जिसका उद्देश्य और प्रभाव कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को लाभ पहुंचाना है, के लिए कंपनी की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी, यदि ऐसे लेनदेन/बाद के संशोधन का मूल्य, चाहे व्यक्तिगत रूप से किया गया हो या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन/संशोधनों के साथ लिया गया हो, सहायक कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी की सहायक कंपनी के वार्षिक एकल कारोबार के 10% से अधिक है।

ञ. कंपनी और उसके प्रमोटर/प्रमोटर समूह संस्थाओं के बीच किसी भी बाद के संशोधनों सहित सभी संबंधित पार्टी लेन-देन के लिए लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी।

ट. कंपनी के किसी भी निदेशक/केएमपी को पारिश्रमिक, कमीशन, बैठने की फीस सहित किसी भी बदलाव/संशोधन आदि के भुगतान से संबंधित लेन-देन के लिए लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी।

ठ. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति निम्नलिखित शर्तों के अधीन कंपनी द्वारा प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान कर सकती है, अर्थात्:

क. ऐसा अनुमोदन उन लेन-देन के संबंध में लागू होगा, जो प्रकृति में दोहरावदार हैं;

ख. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति ऐसे सर्वव्यापी अनुमोदन की आवश्यकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगी और यह कि ऐसा अनुमोदन सूचीबद्ध इकाई के हित में है;

ग. सर्वव्यापक अनुमोदन में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा:

- संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि, निष्पादित लेन-देन की अधिकतम राशि,
- सांकेतिक आधार मूल्य/वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र, यदि कोई हो; और
- ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति उचित समझे:

बशर्ते कि जहां संबंधित पक्ष लेन-देन की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है और पूर्वोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति ऐसे लेनदेन के लिए व्यापक अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति लेनदेन एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

घ. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति, कम से कम तिमाही आधार पर, दिए गए प्रत्येक व्यापक अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण की समीक्षा करेगी;

ङ. ऐसा सर्वव्यापक अनुमोदन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वैध होगा तथा एक वर्ष की समाप्ति के बाद नये अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

च. नीचे दिए गए लेन-देन को सर्वव्यापी मार्ग के माध्यम से अनुमोदित नहीं किया जा सकता है:

- कंपनी के उपक्रम को बेचने या निपटाने के संबंध में लेन-देन;
- लेन-देन, जो सामान्य व्यवसाय के क्रम में नहीं हैं या आर्म्स लेंथ मूल्य पर नहीं हैं;
- लेन-देन, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं;
- कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके तहत बनाए गए नियमों या सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्दिष्ट कोई अन्य लेन-देन।

ड. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति के केवल वे सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देंगे। लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति का ऐसा कोई भी सदस्य, जिसका किसी संबंधित पक्ष लेनदेन में संभावित हित है, संबंधित पक्ष लेनदेन पर मतदान से दूर रहेगा।

ढ. एक संबद्ध पक्ष लेनदेन, जो (i) व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है; या (ii) अप्रासंगिक मूल्य पर नहीं है, उसे लागू कानून के तहत बोर्ड या शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

ण. जहां, किसी अनिवार्य आवश्यकता के कारण, संबंधित पक्ष के लेन-देन को लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी के बिना निष्पादित किया गया है, वहां लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति की संतुष्टि के लिए इसके लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लेन-देन का मूल्यांकन करेगी और बाद में ऐसे लेन-देन में प्रवेश करने के 3 (तीन) महीने की अवधि के भीतर ऐसे लेन-देन की पुष्टि कर सकती है।

त. इस घटना में, कंपनी को किसी संबंधित पक्ष के साथ ऐसे लेन-देन के बारे में पता चलता है, जिसे इसके समापन से पहले इस नीति के अनुसार अनुमोदित नहीं किया गया है, इस मामले की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी और लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति लेनदेन के बारे में सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगी और कंपनी के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेगी, जिसमें संबंधित पक्ष लेनदेन का अनुसमर्थन, संशोधन या समाप्ति शामिल है।

थ. किसी भी मामले में, जहां लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी नहीं देने का निर्णय लेती है, जो अनुमोदन के बिना शुरू किया गया है, लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति, उचित रूप से, अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकती है, जिसमें लेनदेन को बंद करना या शेयरधारकों की मंजूरी लेना, संबंधित पक्ष द्वारा उठाए गए नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान आदि शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। संबंधित पार्टी लेनदेन की किसी भी समीक्षा/अनुमोदन के संबंध में, लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति को इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता को संशोधित करने या माफ करने का अधिकार है।

द. कंपनी द्वारा सभी आरपीटी की तिमाही जानकारी ऑडिट एवं जोखिम प्रबंधन समिति की समीक्षा के लिए रखी जाएगी। प्रबंधन, लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति को एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें स्वीकृत अनुमोदनों और वास्तविक लेन-देन के बीच तुलना प्रदान की जाएगी।

लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति की मंजूरी के अपवाद
क. जिस संबंधित पक्ष लेनदेन में सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष है लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है उसके लिए कंपनी की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, यदि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23 और विनियमन 15 के उप-विनियमन (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं।

ख. ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए कंपनी की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें सूचीबद्ध सहायक कंपनी और ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियां दोनों पक्ष हैं, लेकिन कंपनी पक्ष नहीं है, यदि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23 और विनियमन 15 के उप-विनियमन (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं और ऐसे में सूचीबद्ध सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व-मंजूरी पर्याप्त होगी।

ग. निम्नलिखित संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में कंपनी की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति का पूर्व अनुमोदन लागू नहीं होगा:

i. सभी लेन-देन, जिसमें सभी आगामी संशोधन शामिल हैं, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और एक होल्डिंग कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच दर्ज किए गए हैं, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे गए हैं; और
ii. सभी लेन-देन, जिसमें सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच दर्ज किए गए सभी बाद के संशोधन शामिल हैं, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे गए हैं।

आरपीटी के अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाने वाली सूचना

कंपनी प्रस्तावित आरपीटी के अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति की समीक्षा हेतु निम्नलिखित जानकारी शामिल करेगी:

क. प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, सामग्री शर्तें और विवरण;

ख. संबंधित पक्ष का नाम और कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी रुचि या हित (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति शामिल है;

ग. प्रस्तावित लेन-देन की अवधि (विशेष अवधि निर्दिष्ट की जाएगी);

घ. प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य;

ङ. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेन-देन के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है (और गैर-पूर्ण सहायक कंपनी को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए, स्टैंडअलोन आधार पर ऐसी सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर गणना की गई प्रतिशतता अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी);

च. यदि लेन-देन कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए किसी ऋण, इंटर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है:

i. प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण;
ii. जहां कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता, ऋण देने या लेने, इंटर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश के के कारण होती है,
   - ऋणग्रस्तता की प्रकृति;
   - निधियों की लागत; और
   - अवधि;
iii. लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; और
iv. वह उद्देश्य, जिसके लिए आरपीटी के अनुसार अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।

छ.आरपीटी के कंपनी के हित में होने का औचित्य;

ज. मूल्यांकन या अन्य बाह्य पार्टी रिपोर्ट की प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया हो;

झ. प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है;

ञ. कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है।

कंपनी की लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति, वार्षिक आधार पर दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति की भी समीक्षा करेगी।

बोर्ड

यदि कंपनी से संबंधित किसी भी संबंधित पक्ष के लेन-देन को लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा बोर्ड को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है क्योंकि लेन-देन (i) व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है, या (ii) एक निश्चित कीमत पर नहीं है तो बोर्ड ऐसे कारकों पर विचार करेगा, जैसे कि लेन-देन की प्रकृति, महत्वपूर्ण शर्तें, मूल्य निर्धारण का तरीका और ऐसे लेन-देन में प्रवेश करने का व्यावसायिक औचित्य।

सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष के ऐसे लेन-देन, जिनमें आगामी महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं, जिनके लिए शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होती है, उनके लिए पहले बोर्ड की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी।

बोर्ड का कोई भी सदस्य या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, जिसका किसी भी संबंधित पक्ष के लेन-देन में कोई हित है, संबंधित

पक्ष के लेन-देन पर मतदान से दूर रहेगा।

शेयरधारिता

सूचीबद्ध करने के विनियमन
क. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा परिभाषित सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन और उसके बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए साधारण संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी और कोई भी संबंधित पक्ष ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा, चाहे इकाई उस विशेष लेन-देन की संबंधित पार्टी हो या नहीं;

ख. कंपनी अधिनियम और सूचीबद्ध करने के विनियमों के तहत अनुमोदन की आवश्यकता का अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से अनुपालन करेगी।

सूचीबद्ध करने के विनियमों के तहत शेयरधारकों के अनुमोदन के अपवाद
क. महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी:

i. सभी लेन-देन, जिनमें होल्डिंग कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए सभी आगामी संशोधन शामिल हैं, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे गए हैं।
ii. सभी लेन-देन, जिनमें सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए सभी आगामी संशोधन शामिल हैं, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे गए हैं।

ख. ऐसे संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष है, लेकिन कंपनी एक पक्ष नहीं है, यदि इन विनियमों के विनियमन 23 और विनियमन 15 के उप-विनियमन (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं। इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित सूचीबद्ध सहायक कंपनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए, सूचीबद्ध सहायक कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी पर्याप्त होगी।

ग. इसके अतिरिक्त, दिवालियापन संहिता की धारा 31 के अंतर्गत अनुमोदित समाधान योजना के संबंध में उपरोक्त आवश्यकताएं लागू नहीं होंगी, बशर्ते कि समाधान योजना के अनुमोदित होने के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को घटना का खुलासा कर दिया जाए।

कंपनी अधिनियम**, 2013**

क. अधिनियम की धारा 2(76) में परिभाषित संबंधित पक्ष के साथ सभी लेन-देन जो: (क) व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं या एक दूसरे से अलग नहीं हैं; और (ख) जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं, जिसमें शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता वाले परिवर्तन या संशोधन शामिल हैं, उन्हें कंपनी की आम बैठक में पारित प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी; और ऐसे मामलों में, लेनदेन के संबंधित

पक्ष/पक्षों को ऐसे प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहना होगा।

ख. कंपनी अधिनियम और सूचीबद्ध करने के विनियमों के तहत अनुमोदन की आवश्यकता का अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से अनुपालन करेगी।

आरपीटी पर विचार के लिए शेयरधारकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना

किसी प्रस्तावित आरपीटी के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों को भेजे जाने वाले नोटिस में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अतिरिक्त, स्पष्टीकरणात्मक कथन के भाग के रूप में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:

क. कंपनी के प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति को प्रदान की गई जानकारी का सारांश;

ख. प्रस्तावित लेन-देन कंपनी के हित में क्यों है, इसका औचित्य;

ग. जहां लेन-देन, किसी ऋण, इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट, अग्रिम या कंपनी या उसकी सहयोगी कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए निवेश से संबंधित हो:

i. प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण;
ii. जहां कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता, ऋण देने या लेने, इंटर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश के के कारण होती है,
   - ऋणग्रस्तता की प्रकृति;
   - निधियों की लागत; और
   - अवधि;
iii. लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; और
iv. वह उद्देश्य, जिसके लिए आरपीटी के अनुसार अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।

घ. एक वक्तव्य कि प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में कंपनी द्वारा जिस मूल्यांकन या अन्य बाह्य रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, यदि कोई हो, तो उसे शेयरधारकों के पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा;

ङ. प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है;

च. कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है।

संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देने के लिए लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल के लिए कारक/दिशा-निर्देश

यह निर्धारित करने में कि क्या संबंधित पक्ष लेन-देन को अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जा सकता है:

क. क्या संबंधित पक्ष लेन-देन कंपनी के सामान्य व्यवसाय के क्रम में है;

ख. क्या संबंधित पक्ष लेन-देन आर्म्स लेंथ आधार पर है;

ग. क्या कंपनी के लिए संबंधित पक्ष लेन-देन में प्रवेश करने के लिए व्यावसायिक समीचीनता के पर्याप्त कारण हैं, उपलब्ध विकल्पों की तुलना करने के बाद, यदि कोई हो;

घ. क्या निदेशक या केएमपी से संबंधित आरपीटी के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित निदेशक या

केएमपी उक्त एजेंडा आइटम में मतदान से दूर रहेंगे;

ङ. क्या प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन में कोई संभावित प्रतिष्ठा/नियामक जोखिम शामिल है, जो प्रस्तावित लेन-देन के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकता है;

च. क्या संबंधित पक्ष लेन-देन, लेन-देन के आकार, संबंधित पक्ष की समग्र वित्तीय स्थिति, लेन-देन में संबंधित पक्ष के हित की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकृति और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति या निदेशक मंडल प्रासंगिक मानता है, कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए अनुचित हितों का टकराव प्रस्तुत करेगा।

प्रतिवेदन एवं प्रकटन

क. संबंधित पक्षों के साथ किसी भी आगामी भौतिक संशोधन सहित सभी भौतिक संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण, कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ तिमाही आधार पर प्रकट किया जाएगा।

ख. अधिनियम की धारा 188(1) में संदर्भित, संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण फॉर्म एओसी-2 में निदेशकों के प्रतिवेदन में प्रकट किया जाना है।

ग. सूचीबद्ध इकाई स्टॉक एक्सचेंजों को अपने स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तिथि पर हर छह महीने में संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटन, सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

घ. कंपनी अपनी वेबसाइट पर संबंधित पक्ष लेन-देन से निपटने की नीति का प्रकटन करेगी और वार्षिक प्रतिवेदन में इसका वेब लिंक प्रदान करेगी।

सीमा एवं संशोधन

इस नीति के प्रावधानों और अधिनियम या सूचीबद्ध करने विनियमन या किसी अन्य वैधानिक अधिनियम, नियम के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, ऐसे अधिनियम या सूचीबद्ध करने के विनियमन या वैधानिक अधिनियम, नियम के प्रावधान इस नीति पर प्रभावी होंगे। सूचीबद्ध करने के विनियमन, अधिनियम और/या इस संबंध में लागू कानूनों में कोई भी आगामी परिवर्तन/संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।